उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-67/2026/1106जे0/22-5-2026-1200(09)/2017

लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2026

वारण्ट

उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-34726/सामा-1(3)/69/मानसिक बंदी-स्था0/26, दिनांक 15-09-2026 द्वारा **केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदीगण क्रमश: 1- श्रीधर तिवारी पुत्र श्री रमाकान्त तिवारी एवं 2- कमलेश पुत्र श्री कडेराम मौर्या** को मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त पाये जाने एवं उनकी संस्तुति के क्रम में उक्त बंदीगण को उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी भेजे जाने हेतु अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-479 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदीगण को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें केन्द्रीय कारागार, बरेली वापस भेज दिया जाये।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-67/2026/1106जे0(1)/22-5-2026-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 15-09-2026 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।**(संलग्नक यथोक्त)**

2- जिलाधिकारी, बरेली।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।